

LT-811/74

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1) AS G.S.R. 509 DATED 25TH MAY, 1974.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

.....

New Delhi, the 15th May, 1974
Vaisakha 25, 1896 S.E.

NOTIFICATION

G.S.R..509.....In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1974.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in Schedule I, in Form K, in Part VI, in clause 3, for the words "the same may be recovered", the words "the same, together with interest due thereon, may be recovered" shall be substituted.

Sd/-M.M. Bakshi
Under Secretary to the Government of India
File No. 1(20)/73-MVI

LT-8111/74

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 के उपखण्ड (i) में प्रकाशित

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1974
वैशाख 25, 1896 शक

अधिसूचना

साठ का० नि० 509 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रिआयत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) वे नियम खनिज रिआयत (संशोधन) नियमावली, 1974 कहलाएंगे।
(2) वे शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खनिज रिआयत नियमावली, 1960 के भाग VI प्रपत्र 'के' के अनुसूची I में, खण्ड 3 में आर शब्दों, "उसे वसूल किया जाए" के स्थान पर "उसे तथा उस पर बकाया ब्याज वसूल किया जाए" रखे जाएंगे।

६०
(एम० एम० बक्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार
फा० सं० 1(20)/73-खान-6

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, नई दिल्ली।

LT-8111/74

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 के उपखण्ड (i) में प्रकाशित

- - -
भारत सरकार
इस्थित और खान मंत्रालय
(खान विभाग)
- - -

नई दिल्ली, 15 मई, 1974

वैशाख 25, 1896 शक

अधिसूचना
- - - - -

सा० का० नि० 509 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रिआयत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) वे नियम खनिज रिआयत (संशोधन) नियमावली, 1974 कहलायेंगे।
(2) वे शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खनिज रिआयत नियमावली, 1960 के भाग VI प्रपत्र 'के' के अनुसूची I में, खण्ड 3 में आर शब्दों, "उसे वसूल किया जाए" के स्थान पर "उसे तथा उस पर बकाया ब्याज वसूल किया जाए" रखे जायेंगे।

६०
(एम० एम० बकशी)

अवर सचिव, भारत सरकार
फ़० सं० 1(20)/73-खान-6

सेवा में,

सहायक,
भारत सरकार मंत्रालय,
रिंग रोड, नई दिल्ली।